संख्याः1470/चौवालिस-2/1995

प्रेषक,

श्री रवीन्द्र शंकर माथुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों से
सम्बन्धित शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

दिनांकः 13 सितम्बर, 1995

विषयः– सार्वजनिक उद्यमों में कार्यदक्षता सुनिश्चित करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का दायित्व।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपका ध्यान इस विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–863/चौवालिस-2-1994 दिनांक 1 जून, 94 की ओर आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिसके द्वारा प्रदेश के सार्वजनिक उद्यमों में कार्य संचालन में सुधार, दक्षता सुनिश्चित करने तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये थे।

2- उपरोक्त संदर्भ में हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा वर्ष 1993-94 की तुलना वर्ष 1994-95 (35 उद्यमों से प्राप्त आंकड़ों के अनन्तिम परिणाम) के आधार पर कार्य संचालन की समीक्षा की गई थी जिसे मा० मुख्य मंत्री जी को प्रस्तुत किया गया था। खेद का विषय है कि सामान्य तौर पर अधिकांश निगमों के कार्य संचालन में कोई उल्लेखनीय सुधार परिलक्षित नहीं हुआ है। शासन द्वारा इस परिपेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि निगमों के कार्य संचालन के लिए निगमों के उच्च प्रबन्ध तंत्र को अब सीधे उत्तरदायी बनाया जायेगा। साथ ही मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रशासनिक विभागों के स्तर पर भी सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में अपेक्षित सुधार करने के सतत प्रयत्न किये जांय तथा उपरोक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित शासनादेश एवं उसके उपरान्त उसी सन्दर्भ में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा प्रसारित शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में की गई कार्यवाही की मासिक समीक्षा कृपया अपने स्तर पर करने का कष्ट करें। मुख्य रूप से इन शासनादेशों में कारपोरेट प्लान बनाने, इन्वेंटरी एवं अग्रिमों पर नियंत्रण, वार्षिक लेखों को समय से पूर्ण कराने एवं निगमों की आपरेशनल एफिसियेन्सी में सुधार लाने के सम्बन्ध में निगमों से प्रभावी कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गई है। अतः अनुरोध है कि इन बिन्दुओं के बारे में कृपया नियमित रूप से मासिक समीक्षा करने का कष्ट करें।

3- ज्ञातव्य है कि निगमों में कार्यरत अध्यक्षों/प्रबन्ध निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन के सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य सचिव द्वारा आपको प्रेषित अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–506/पी०एस०एम०एस०/95 दिनांक 5 जून, 95 में विभिन्न उद्यमों/उपक्रमों के अध्यक्षों तथा प्रबन्ध निदेशकों के वार्षिक कार्यों के मूल्यांकन की प्रक्रिया से अवगत कराया गया है। इस पत्र के सम्बन्धित उद्धरण निम्नवत् हैं:–

(1) सभी निगमों के कार्य संचालन के बारे में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जो समीक्षा की जाती है उस समीक्षा आख्या को सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशकों के वार्षिक कार्य के मूल्यांकन के सम्बन्ध में अवश्य ही संज्ञान में लिया जाय। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग सभी निगमों के वार्षिक कार्य–कलापों की समीक्षात्मक टिप्पणी 10 जून, 95 तक सभी सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को अवश्य ही उपलब्ध करा दें एवं उसकी प्रतिलिपि मुझे भी भेजें। सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव इस समीक्षात्मक टिप्पणी को संज्ञान में लेते हुए ही अपने अधीनस्थ निगमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के वार्षिक कार्य का मूल्यांकन करेंगे।

(2) जिन मामलों में मुझे समीक्षक अथवा स्वीकृता अधिकारी के रूप में सम्बन्धित निगमों के प्रबन्ध निदेशकों के बारे में टिप्पणी करनी है, उनके कार्यों के मूल्यांकन आख्या जब सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव मुझे प्रस्तुत करेंगे तो उसके साथ उस निगम की समीक्षात्मक टिप्पणी जो प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग से प्राप्त हुई हो, की प्रतिलिपि भी संलग्न करेंगे।

(3) ऐसे सभी प्रबन्ध निदेशकों के सम्बन्ध में जिनके बारे में कनिष्ठ होने के कारण सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा उनके कार्यों का वार्षिक मूल्यांकन नहीं करना है और जो मेरे स्तर पर ही किया जाना है, के बारे में निगमों के कार्यों के मूल्यांकन की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग मुझे सीधे भेजेंगे।

(4) सम्बन्धित अधिकारियों के वार्षिक कार्य के मूल्यांकन के समय उन निगमों के वार्षिक लेखों के बकाये होने की स्थिति को संज्ञान में अवश्य लिया जाय।

(5) यह व्यवस्था वर्ष 1994-95 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन से लागू होगी। अतः कृपया उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जांय।

4- ज्ञातव्य है कि वर्ष 1994-95 के सम्बन्ध में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर किये गये मूल्यांकन सभी प्रमुख सचिवों/सचिवों को पहले ही भेजे जा चुके हैं।

भवदीय,
[रवीन्द्र शंकर माथुर]
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1470 (1)/चौवालिस-2/95, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) सार्वजनिक उद्यमों/निगमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

आज्ञा से,
[के०पी० सिंह]
विशेष सचिव।